



॥[किंगरानी]दत्तिया। श्रृंखला। २०१७/२१६५

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0 प्र0

प्र0 क0

रामबाबू पुत्र स्व0 श्री राजाराम यादव आयु 58

वर्ष निवासी पट्ठापुरा दत्तिया म0 प्र0 कृष्ण

मौजा चितुवां तहसील व जिला दत्तिया

म0 प्र0 प्रार्थी /आवेदक

बनाम

1- शोभाराम पुत्र मोती आदिवासी (फौत)

वारिस पलि श्रीमती अंगूरी देवी पलि स्व0

श्री शोभाराम आदिवासी निवासी ग्राम चितुवां

तहसील व जिला दत्तिया म0 प्र0

2- हुकुम सिंह पुत्र राधेलाल यादव

निवासीग्राम ऊचिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला

दत्तिया म0 प्र0 प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

प्रश्नाधीन आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

दत्तिया के प्रकरण कमांक 11/अ-5/2003-04 शोभाराम बनाम म

प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 10-2-2004 के विरुद्ध

महोदय,

प्रार्थी/आवेदक की निम्न लिखित पुनरीक्षण याचिका माननीय मंडल के

समक्ष सादर प्रस्तुत है :-

3

(र. आर. दिनकर द.)
र. आर. दिनकर
न्यायालय दिनांक 10-2-2004
न्यायालय दिनांक 10-2-2004

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दा./निग./भू.रा./दतिया/2017/2165

रामबाबू विरुद्ध शोभाराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभारी आदि के हस्ताक्षर
३१/५/१९	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 11/अ-5/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 10/02/2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>लगाए गए हस्ताक्षर</p> <p>(आर0के0 जैन) ३१/५/१९</p> <p>सदस्य</p>